

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या. 3686/2024

1. कमलेश, पुत्र किशन लाल, निवासी ग्राम-सांकोटदा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
2. कैलाश, पुत्र किशन लाल, निवासी ग्राम-सांकोटदा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
3. लालाराम, पुत्र किशन लाल, निवासी ग्राम-सांकोटदा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
4. कालू राम, पुत्र किशन लाल, निवासी ग्राम-सांकोटदा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
5. भूली, पत्नी किशन लाल, निवासी ग्राम-सांकोटदा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
6. सुरेश, पुत्र किशन लाल, निवासी ग्राम-सांकोटडा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
7. कजोड़, पुत्र श्यो नारायण, निवासी ग्राम-सांकोटदा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राम सहाय, पुत्र सुखा राम, निवासी ग्राम सांकोटदा, तहसील जमवारामगढ़, जिला, जयपुर, राजस्थान
2. गंगाराम, पुत्र श्योनंदा, निवासी ग्राम सांकोटदा, तहसील जमवारामगढ़, जिला, जयपुर, राजस्थान
3. दुर्गा देवी, पत्नी राम करण, निवासी ग्राम सांकोटदा, तहसील जमवारामगढ़, जिला, जयपुर, राजस्थान
4. रमेश चंद, पुत्र छीतरमल, निवासी ग्राम सांकोटदा, तहसील जमवारामगढ़, जिला, जयपुर, राजस्थान
5. राम फूल, पुत्र गोपी चंद, निवासी ग्राम सांकोटदा, तहसील जमवारामगढ़, जिला, जयपुर, राजस्थान
6. श्रवण, पुत्र सुखा राम, निवासी ग्राम सांकोटदा, तहसील जमवारामगढ़, जिला, जयपुर, राजस्थान
7. राजस्थान राज्य, तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/664/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:43:35 बजे डाउनलोड किया गया)

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री. प्रखर गुप्ता
श्री. संजय शर्मा के साथ
उत्तरदाता(ओं)के लिए :

माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश

10/10/2024

1. यह याचिका राजस्व बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') के दिनांक 11.01.2024 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था और उपखण्ड अधिकारी (जिसे आगे 'एसडीओ' कहा जाएगा) द्वारा अंतरिम आदेश को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने अपनी भूमि के मानचित्र में सुधार के संबंध में राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 131, 132 सहपठित धारा 136 के तहत एक आवेदन दायर किया था। एसडीओ ने दिनांक 07.07.2020 के आदेश के तहत यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया। गैर-आवेदकों को आगामी तारीखों पर अंतरिम आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई थी, यदि वे असंतुष्ट हैं। अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई और दिनांक 11.01.2024 के आदेश के तहत उसे रद्द कर दिया गया। अंतरिम आदेश को रद्द करने से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। पुनरीक्षण याचिका को गैर-पोषणीय बताते हुए दिनांक 21.02.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि बोर्ड ने इस आधार पर पुनरीक्षण याचिका खारिज करके गलती की है कि अपील का उपाय उपलब्ध था और पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं है। आगे तर्क दिया गया है कि स्थगन एक असंबद्ध आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
4. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 84 और धारा 84-ए नीचे प्रस्तुत की जाती हैं:-

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/664/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:43:35 बजे डाउनलोड किया गया)

“84. बोर्ड की अभिलेख मंगाने और आदेशों को संशोधित करने की शक्ति:- बोर्ड किसी भी न्यायिक प्रकृति के अभिलेख या ऐसे समझौते से संबंधित अभिलेख मंगा सकता है जिसमें बोर्ड के समक्ष कोई अपील नहीं होती है, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय या अधिकारी जिसके द्वारा मामले का निर्णय किया गया था, उसने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसे विधि द्वारा प्रदान नहीं की गई है, या ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता के साथ किया है, और मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।”

84 ए. कुछ मामलों में पुनरीक्षण नहीं:- इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध सभी लम्बित पुनरीक्षण राजस्थान राजस्व विधि (संशोधन अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 13)) के प्रारम्भ की तिथि से उपशमित हो जाएंगे।”

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क तथ्यहीन है।
6. अधिनियम की धारा 84 ए की भाषा स्पष्ट है कि अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में पारित किसी भी अंतरिम आदेश के विरुद्ध कोई संशोधन मान्य नहीं होगा। बोर्ड द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सही है कि संशोधन स्वीकार्य नहीं है, हालाँकि विभिन्न कारणों से अंतरिम आदेश के विरुद्ध कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है।
7. याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन मानचित्र में संशोधन के संबंध में था और उपखंड अधिकारी ने दूसरे पक्ष को सुने बिना ही एकपक्षीय अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया, वह भी बिना किसी स्पष्ट आदेश के। अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने के किसी भी स्थापित सिद्धांत पर चर्चा नहीं की गई। प्रतिवादियों के उपस्थित होने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, प्रदान किया गया अंतरिम संरक्षण रद्द कर दिया गया।
8. इस न्यायालय के समक्ष भी अपूरणीय क्षति तथा सुविधा के संतुलन के आधार पर स्थगन प्रदान करने का कोई मामला नहीं बनता है।
9. रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता।

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/664/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:43:35 बजे डाउनलोड किया गया)

10. तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।
11. हालाँकि, संबंधित न्यायालय मुकदमे को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास करेगा।

(अवनीश झिंगन),जे

चंदन/18

रिपोर्ट योग्य: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/664/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:43:35 बजे डाउनलोड किया गया)